कोलायत जिला–बीकानेर

19/01/23 पत्रावली पेश हुई। वादी के अभिभाषक श्री सुमेर दान बिठू उपस्थित। प्रार्थी भंवर लाल विश्नोई पुत्र श्री तुलछाराम जाति विश्नोई साकिन पाबूथल तहसील व जिला नागौर बनने पक्षकार के अभिभाषक श्री जगदीश जल उपस्थित।

प्रार्थी भंवर लाल विश्नोई के दिनांक 11/10/22 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश। नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता पर बहस दोनों पक्षों के विद्वान काउंसल की सुनी गयी एवं पत्रावली का सावधानी पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया।

प्रार्थी भंवर लाल प्रस्तुत वाद में पक्षकार बनने का यह पक्ष कथन करता है कि उसने भूमि विवादित में से 0.25 हैक्टेयर वादी देवेन्द्र सिंह के हिस्से में तथा प्रतिवादी संख्या 3 हरिसिंह के हिस्से की खातेदारी भूमि 0.25 हैक्टेयर ~~वादी~~ जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 09-12-2020 को ही क्रय कर लिया गया

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तथा क्रय शुदा भूमि का कब्जा विक्रेताओं (वादी व प्रतिवादी सं० 3) से उसी समय प्राप्त कर लिया था।

इसी प्रकार प्रार्थी पंजीकृत बैयनामे के आधार पर अपने हिस्से का खातेदार काश्तकार हो गया और इसलिए वह आवश्यक एवं व्यथित पक्षकार मुकदमा है।

इसलिए उसे प्रस्तुत वाद में वादी प्रतिवादी पक्षकार बनाया जावे।

मैंने प्रार्थी के इस प्रार्थना पत्र के संदर्भ में राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया है। भू-अभिलेखों की प्रस्तुत प्रमाणित प्रतियों (जमाबंदियों) में प्रार्थी इन्द्रजीत खातेदार काश्तकार दर्ज नहीं है। जबकि धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के बाद में रिकार्डेड खातेदारों ~~के~~ मध्य ही विभाजन किये जाने का कानून प्रदत्त है।

प्रार्थी विवादित भूमि का सह काश्तकार अभिलेखों में दर्ज नहीं होने से उसे विभाजन करवाने का हक नहीं मिला है। प्रार्थी यह कह आया है कि वह पंजीकृत बैयनामा के माध्यम से भूमि पर आया है।

लेकिन वास्तव वह रिकार्ड में खातेदार के रूप में दर्ज नहीं है।

ऐसी स्थिति में बंटवारे के वाद में उसे पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। प्रथमतः उसे अपने क्रय शुदा भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवायी जानी आवश्यक

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला बीकानेर

है। अत: वह जिस भूमि पंजीकृत बैयनामा के आधार पर अपने हक व हकूक तथा हिस्सा मानता है तो उस खरीद के आधार पर जरिये नामान्तरकरण खातेदार बनना आवश्यक है।
यदि वह वाद के माध्यम से अपने हकों की घोषणा चाहता है तो उसे घोषणात्मक वाद लाना आवश्यक है। जो वो अलग से लाने हेतु स्वतंत्र है।
ऐसी स्थिति में उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत बनने पक्षकार स्वीकार योग्य नहीं पाता हूँ। बल्कि काबिले मंसूख पाता हूँ।
अत: इसके द्वारा उसका प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।
इसके पश्चात् ध्यान देने की बात यह है कि प्रार्थी भंवर लाल ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में यह अंकित किया है कि उक्त प्रकरण में वादी देवेन्द्र सिंह ने न्यायालय में दावा पेश कर स्टे ले रखा है। और उसकी खरीद के आधार पर पिछले 3 वर्षों से इन्तकाल की कार्यवाही तहसीलदार व हल्का पटवारी द्वारा नहीं की जा रही है। जबकि हालगत प्रकरण तो पिछले साल की समाप्ति के दिन 31-12-2021 को ही प्रस्तुत किया गया था तथा इस के साथ ही प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र 2/2 आर.टी.ए. पर स्टे न्यायालय द्वारा जारी किया गया था। इस संबंध में

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला बीकानेर

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तलबीकात करनें पर न्यायालय को यह बताया गया कि वादी देवेन्द्र सिंह ने पूर्व में दिनांक 29-12-2020 को इसी भूमि को लेकर इन्हीं पक्षकारों के विरुद्ध वाद संख्या 44/2020 अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. का प्रस्तुत किया था जो कि बाद में पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से दावा दिनांक 02-09-2021 को जरिये विड्रॉवल वादी नें न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करखारिज करवा लिया था।

पुनः वादी देवेन्द्र सिंह नें इन्हीं पक्षकारों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान-काश्तकारी अधिनियम का यह वाद प्रस्तुत कर किया जो पूर्व में प्रस्तुत दावे में उत्पन्न वादकरण के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

जबकि same Cause of Action पर नया वाद लानें में कानूनी रूप से वादी बाधित है तथा कोई अधिकारिता वादी को नया वाद लानें की नहीं रहती है।

इस आधार पर कोई वाद करण (वाद मूल) प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादी को हासिल नहीं होता है तथा दावा बार्ड बाई लॉ की तारीफ में आ जाता है तथा इस पर आदेश-7 नियम-11 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान प्रवृत हो जाते है। और दावा

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व... अहकाम... हुक्म की... में जारी

विधि विरुद्ध उत्पन्न होने से आदेश-7 नियम-11 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अधीन काबिले खारिज हो जाता है। अतः वादी द्वारा उत्पन्न वाद-पत्र रिजेक्ट किया जाता है।

वाद-पत्रावली फैसल-शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19-01-2023 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर